कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखीमपुर–खीरी

पत्रांकः के0जी0बी0वी0/चयन/ 60 - 69 /2026–27 दिनांक 8-4-2026

विज्ञप्ति

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षिक व शिक्षणेत्तर कार्मियों के नवीन चयन/पदस्थापन/संविदा के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या– बेसिक शिक्षा अनुभाग–5/1553/68–5– 2020, लखनऊ दिनांक 11 दिसम्बर 2020 के निर्देशों के कम में जनपद लखीमपुर–खीरी में संचालित कस्तूरबा गॉधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पूर्ण कालिक शिक्षिका, अंश कालिक शिक्षिका, सहायक रसोइया, चपरासी एवं चौकीदार के पदों पर नियुक्ति (संविदा आधारित) हेतु के वर्णित अर्हताधारी महिला अभ्यर्थियों से शैक्षिक सत्र 2026–27 में कार्य करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 24.04.2026 की सांय 05 बजे तक निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। नियुक्ति/पदस्थापन की कार्यवाही विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 13553/2022 स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाम सरोज मौर्या व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेश के आधीन होगी। पंजीकृत डाक के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। रिक्त पदों का विवरण, आवदेन पत्र का प्रारूप एंव दिशा निर्देश **kheri.nic.in** पर भी उपलब्ध है। रिक्त पदो का विवरण निम्नवत है–

कम सं0	कुल रिक्त पदों का नाम	कुल रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पदों की आरक्षित श्रेणी					प्रतिमाह मानदेय (रू0)	आयु वर्षों में
			अनारक्षित	अन्य पिछडा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग		
1	पूर्ण कालिक शिक्षिका (हिन्दी संस्कृत)	01	01	—	—	—	—	रू0 25410/– प्रतिमाह	25–45 वर्ष
2	पूर्ण कालिक शिक्षिका (गणित)	01	01	—	—	—	—	रू0 25410/– प्रतिमाह	25–45 वर्ष
3	पूर्ण कालिक शिक्षिका (सामाजिक विज्ञान)	01	—	—	—	—	01	रू0 25410/– प्रतिमाह	25–45 वर्ष
4	पूर्ण कालिक शिक्षिका (अंग्रेजी)	01	01	—	—	—	—	रू0 25410/– प्रतिमाह	25–45 वर्ष
5	अंश कालिक शिक्षिका (शारीरिक शिक्षा)	02	—	01	—	01	—	रू0 12790/– प्रतिमाह	25–45 वर्ष
6	अंश कालिक शिक्षिका (कम्प्यूटर)	07	02	01	03	—	01	रू0 12790/– प्रतिमाह	25–45 वर्ष
7	अंश कालिक शिक्षिका (कला काफ्ट/ गृहविज्ञान/ संगीत)	01	01	—	—	—	—	रू0 12790/– प्रतिमाह	25–45 वर्ष
8	सहायक रसोइया	09	—	05	01	—	03	रू0 6755/– प्रतिमाह	25–45 वर्ष
9	चपरासी	01	—	01	—	—	—	रू0 7505/– प्रतिमाह	25–45 वर्ष
10	चौकीदार	01	—	—	—	—	01	रू0 7505/– प्रतिमाह	25–45 वर्ष
	कुल योग	**25**	**06**	**08**	**04**	**01**	**06**		

रिक्त पदों की संख्या घट–बढ़ सकती हैं।

1. उपरोक्त सभी पदों पर केवल महिला अभ्यर्थी का ही चयन किया जायेगा।
2. पूर्ण कालिक शिक्षिकाओं के पदों के लिये निर्धारित योग्यता उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0 एवं प्रशिक्षित स्नातक होगी। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0/समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जायेगा।
3. पूर्णकालिक शिक्षिका विषय हिन्दी संस्कृत पद हेतु हिन्दी और संस्कृत विषय से स्नातक, प्रशिक्षित स्नातक एंव उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0 अनिवार्य है।

4. पूर्णकालिक शिक्षिका विषय गणित पद हेतु पी0सी0एम0 वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एंव उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0 अनिवार्य है।
5. पूर्णकालिक शिक्षिका विषय सामाजिक विज्ञान पद हेतु भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय से प्रशिक्षित स्नातक एंव उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0 अनिवार्य है।
6. पूर्णकालिक शिक्षिका विषय अंग्रेजी पद हेतु अंग्रेजी विषय से प्रशिक्षित स्नातक एंव उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0 अनिवार्य है।
7. बी0पी0एड0, सी0पी0एड0 तथा डी0पी0एड0 आदि उपाधियां केवल शारीरिक शिक्षा के अध्यापन हेतु मान्य होगी किन्तु शारीरिक शिक्षा पद पर चयन हेतु बी0पी0एड0, सी0पी0एड0 तथा डी0पी0एड0 अभ्यर्थियों हेतु टी0ई0टी0 अनिवार्य नहीं होगी।
8. कला, क्राफ्ट, संगीत आदि विषयों के लिये शैक्षिक योग्यता स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि होगी तथा गृह शिल्प के शिक्षक/शिक्षिका का पद कला, क्राफ्ट एवं संगीत के पद के अन्तर्गत ही माना जायेगा।
9. कम्प्यूटर शिक्षक/शिक्षिका के लिए प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0/समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षित सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर शिक्षण हेतु पी0जी0डी0सी0ए0/बी0सी0ए0/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर सांइस अथवा स्नातक सहित डी0ओ0ई0 ए0सी0सी0 या समकक्ष संस्था से "ओ लेवल"/ए लेवल डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यता भी वांछित होगी।
10. अंश कालिक शिक्षिका पद हेतु प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0/समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षित सम्मिलित है।
11. सहायक रसोइया/चपरासी/चौकीदार पद हेतु शैक्षिक योग्यता कक्षा–8 उत्तीर्ण होगी तथा अभ्यर्थी को शारीरिक अक्षमता एंव संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर से जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
12. सहायक रसोइया का पद पूर्ण कालिक है। विद्यालय में निवास करना अनिवार्य है।
13. 01 अप्रैल 2026 को न्यूनतम् आयु 25 वर्ष तथा अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक न हो।
14. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रविधान के अनुसार आरक्षण जनपद स्तर पर देय होगा।
15. भरे हुये आवेदन पत्र समस्त स्वप्रमाणित संलग्नकों की छायाप्रति सहित पंजीकृत डाक से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखीमपुर–खीरी में दिनांक 24–04–2026 की सांय 05 बजे तक ही स्वीकार किये जायेंगे। निर्धारित तिथि एंव समय के बाद प्राप्त आवदेन पत्र मान्य नहीं होगा।
16. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप सहित समस्त आवश्यक जानकारियां kheri.nic.in बेबसाइट पर उपलब्ध है। विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जिलाधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जनपद लखीमपुर खीरी पर चस्पा हैं।
17. आवेदन पत्र के साथ 46–46 रू0 के डाक टिकट लगे हुये दो लिफाफे जिस पर अभ्यर्थी का नाम, पता व पिन कोड स्पष्ट लिखा हो, संलग्न करना अनिवार्य है। यदि लिफाफे आवेदन पत्र के साथ प्राप्त नहीं होते हैं तो काउन्सलिंग/साक्षात्कार आदि की सूचना न मिलने के लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
18. उपरोक्त विज्ञप्ति को किसी भी समय यथा आवश्यकतानुसार निरस्त करने का अधिकार जनपदीय चयन समिति के पास होगा, जिस पर कोई भी दावा स्वीकार नहीं होगा।
19. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले अनुभव प्रमाण पत्र पर जारी करने वाली संस्था द्वारा पत्रांक एवं दिनांक अंकित होना अनिवार्य है। अनुभव प्रमाण पत्र पर पत्रांक एवं दिनांक अंकित न होने की दशा में अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

संलग्नक– आवेदन पत्र का प्रारूप।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखीमपुर–खीरी

पृ0सं0 व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी महोदया, लखीमपुर खीरी की सेवा में अवलोकनार्थ।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, लखीमपुर खीरी की सेवा में अवलोकनार्थ।

3. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखीमपुर–खीरी।
4. समस्त उपजिलाधिकारी, लखीमपुर–खीरी को कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
5. जिला सूचना अधिकारी, जनपद लखीमपुर–खीरी को इस अनुरोध के साथ कि **kheri.nic.in** बेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, लखीमपुर–खीरी के कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
7. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद–खीरी के कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
8. सम्पादक, हिन्दुस्तान व दैनिक जागरण को इस आशय से प्रेषित कि दैनिक समाचार पत्र में पठनीय व न्यूनतम राजकीय दरों पर विज्ञप्ति प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखीमपुर–खीरी

जनपद लखीमपुर खीरी के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में संविदा पर चयन हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2026–27

1. आवेदित पद का नाम.......................................विषय–...

2. आवेदक का नाम..

3. आवेदक के पिता का नाम...

4. आवेदक के पति का नाम..

5. स्थायी पता..

....

6. पत्राचार का पता...

....

7. दूरभाष नं0...मो0नं0..

8. जन्मतिथि (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)...

9. दिनांक 01.04.2026 को आयु वर्ष............................माह..........................दिन..................................

10. राष्ट्रीयता.................................

11. आधार कार्ड संख्या..

12. आरक्षित श्रेणी (1–सामान्य 2–अ0पि0वर्ग 3–अनु0जाति 4–अनु जन जाति 5–आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) (जाति प्रमाण पत्र के अनुसार)

13. शैक्षिक योग्यता :–

क0सं0	परीक्षा का नाम	विद्यालय / बोर्ड / विश्वविद्यालय	वर्ष	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	कक्षा–8						
2	हाईस्कूल						
3	इण्टरमीडिएट						
4	स्नातक						
5	प्रशिक्षण योग्यता						
6	टी0ई0टी / सी0टी0ई0टी0						
7	अन्य						
	योग						

14. अन्य प्रमाण पत्र..

घोषणा

मै एतद्द्वारा घोषणा करती हूँ कि मैंने विज्ञप्ति में अंकित की गयी पात्रता की शर्ते सावधानी पूर्वक पढ़ी हैं। वे मुझे मान्य हैं और उक्त शर्तें में पूरी करती हूँ । इस विवरण में दिये गये समस्त विवरण / सूचनायें सत्य एंव सही हैं और मैने सभी तथ्यों / विवरणों / सूचनाओं में कोई तथ्य छिपाया नही हैं। कोई तथ्य / विवरण / सूचना असत्य या गलत पाये जाने अथवा मेरे द्वारा छिपाये जाने पर मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जाये। यदि संविदा के आधार पर मेरा चयन हो जाने के उपरान्त ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरा अभ्यर्थन समाप्त कर दिया जाये। मेरा कार्य असन्तोषजनक पाये जाने पर मेरा संविदा के चयन को मध्य सत्र में निरस्त कर दिया जाता हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी और इस सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में वाद आदि दायर नही करूंगी। संविदा अनुबन्ध भरने के उपरान्त बीच सत्र में कार्य छोड़ने पर मै एक माह का परिश्रमिक मानदेय कार्यकाल में जमा कर दूंगी।

दिनांक..............................

स्थान...............................

आवेदक के हस्ताक्षर..............................

सुस्पष्ट नाम...................................

पता...

अभ्यर्थी का नवीनतम् स्वहस्ताक्षरित फोटो